न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 01/2023

दायर दिनांक: 02.02.2023

निर्णय दिनांक 28.08.2023

—:अनवान:—

श्रीमती अम्बा बाई पुत्री नाथुलाल, पत्नि श्री छोटुलाल माली निवासी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

—— अपीलार्थी

—: बनाम :—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

—— रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा जिला राजसमन्द नामान्तरकरण आदेश दिनांक 02/11/2022 से व्यथित होकर। अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा जिला राजसमन्द नामान्तरकरण आदेश दिनांक 02/11/2022 से व्यथित होकर अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। कि अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार नाथद्वारा के यहा राजस्व ग्राम नाथद्वारा में स्थित खसरा संख्या 705, 706, 707 के सम्बन्ध में मृतक डालु पिता लक्ष्मण माली का विरासत का नामान्तरण खुलवाने बाबत् एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2022 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया कि "डालु का स्वर्गवास हो चुका है और उसकी अन्य भूमि का नामान्तरण जरिये विरासत नामान्तरण संख्या 116, दिनांक 18.01.1980 एवं नामान्तरण संख्या 3048, दिनांक 28.03.2022 को स्वीकृत होकर भूमियां अपीलार्थी व अन्य वारीसान के नाम पर दर्ज हो चुकी है उक्त भूमि का नामान्तरण रह चुका है, इसलिए मृतक डालु की भूमि का विरासत में नामान्तरण उनके विधिक वारीसान के नाम पर दर्ज कराने की कार्यवाही कराई जावें", जिसके साथ आवश्यक दस्तावेज मृत्यु प्रमाण—पत्र व पूर्व स्वीकृत नामान्तरण की प्रति प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार ने बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही करें/रिपोर्ट पेश करें, के आदेश के पारित किये गये। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश कर यह

न्यायालय जिला कलक्टर

स्वीकार किया गया कि "डालु की मृत्यु हो चुकी है और उसके वारीसान उत्तराधिकारी का सजरा बनाकर प्रस्तुत किया गया है" लेकिन तहसीलदार द्वारा उक्त सजरे के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत न कर प्रार्थी के सजरे को गलत बताते हुए विरासत के नामान्तरण के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया, जबकि उक्त भूमि आज भी मृतक के नाम पर दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डालु की मृत्यु प्रमाणित होने के पश्चात् एवं उसकी अन्य भूमियों का नामान्तरणकरण स्वीकृत होने के पश्चात भी विरासत का नामान्तरण वारीसान की जांच करने के पश्चात् भी स्वीकृत नहीं किया हैं, जो विधि–विरूद्ध हैं। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत है।

अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति देकर जवाब प्रस्तुत किया गया कि अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के यहां दिनांक 12.07.2022 को विरासत से नामान्तरण खुलवाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया। मूल प्रार्थना पत्र मय संलग्नकों के पटवारी हल्का नाथद्वारा को कार्यालय जावक क्रमांक 531 दिनांक 12.07.2022 को नियमानुसार कार्यवाही हेतु भेजा गया। पटवारी हल्का नाथद्वारा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट कार्यालय हाजा में पेश की गई जिसके अनुसार अपीलाण्ट द्वारा मृतक का सजरा गलत पेश किया गया होने से एवं मृतक अमरती बाई पत्नि, एक मृतक पुत्री झमक, मृतक रघुनाथ पिता नाथुलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने से गलत सजरा एवं दस्तावेजों के अभाव में नामान्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में निवेदन किया है कि भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बनाये गये नियमों के तहत राजस्थान लेण्ड रेकर्ड रूल के नियम 384 के तहत नामान्तरण की कार्यवाही करने का दायित्व पटवारी हल्का का हैं और पटवारी हल्का को खातेदार की मृत्यु कि सूचना किसी भी माध्यम से प्राप्त होती है, तो उसका विरासत के आधार पर नामान्तरणकरण करना अनिवार्य दायित्व हैं। साथ ही नियम 119 व 139 के प्रावधानों के तहत भी नामान्तरण खोले जाने की प्रक्रिया एवं दायित्व का निर्धारण कर रखा हैं। लेकिन उक्त मामले में आवेदन–पत्र को पटवारी हल्का रिपोर्ट पर तहसीलदार साहब द्वारा गलत रूप से खारिज कर दिया गया हैं। डालु की मृत्यु प्रमाणित होने के पश्चात् एवं उसकी अन्य भूमियों का नामान्तरणकरण स्वीकृत होने के पश्चात भी विरासत का नामान्तरण वारीसान की जांच करने के पश्चात् भी स्वीकृत नहीं किया हैं, जो विधि–विरूद्ध होने से उक्त आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट के पूर्वाधिकारी डालु के वारीसानों के नाम नामान्तरण खोले जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के यहां दिनांक 12.07.2022 को विरासत से नामान्तरण खुलवाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया। मूल प्रार्थना पत्र मय संलग्नकों के पटवारी हल्का नाथद्वारा को कार्यालय जावक क्रमांक 531 दिनांक 12.07.2022 को नियमानुसार कार्यवाही हेतु भेजा गया। पटवारी हल्का नाथद्वारा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट कार्यालय हाजा में

न्यायालय जिला कलक्टर

पेश की गई जिसके अनुसार अपीलाण्ट द्वारा मृतक का सजरा व दस्तावेजों के अभाव में नामान्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। बहस पर गहन मनन किया गया। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा मृतक डालु के विरासत का नामान्तरण हेतु आवेदन पेश किया है, डालु की मृत्यु होना प्रमाणित है उसकी अन्य आराजीयात का नामान्तरण स्वीकृत हो चुका है, ऐसी स्थिति में मृतक खातेदार का नामान्तरण खोलने का दायित्व राजस्व अधिकारी का हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण आवेदन को खारिज करने में त्रुटि कारित की गई हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित राजस्व ग्राम नाथद्वारा में स्थित खसरा संख्या 705, 706, 707 के सम्बन्ध में नामान्तरकरण आदेश दिनांक 02/11/2022 को अपास्त कर अपील स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अपीलाण्ट के पूर्वाधिकारी डालु के विधिक वारीसान की नियमानुसार जॉच की जाकर प्रकरण का नये सिरे से विधिक प्रक्रिया से निस्तारण किया जाना विधिसम्मत हैं।

: आदेश :

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित राजस्व ग्राम नाथद्वारा में स्थित खसरा संख्या 705, 706, 707 के सम्बन्ध में नामान्तरकरण आदेश दिनांक 02/11/2022 अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार, नाथद्वारा को प्रतिप्रेषित (Remand) कर आदेशित किया जाता है कि वे राजस्व ग्राम नाथद्वारा में स्थित खसरा संख्या 705, 706, 707 के सम्बन्ध में अपीलाण्ट के पूर्वाधिकारी डालु के विधिक वारीसान की नियमानुसार जॉच की जाकर नामान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)